



Neutral Citation No. - 2026:AHC:64052

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

प्रथम अपील संख्या - **240/2026**

वाहिद मृत एवं अन्यअपीलार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्यप्रत्यर्थी

अपीलार्थी के अधिवक्ता: ए.के. श्रीवास्तव, अशोक कुमार त्रिपाठी, एन. लाल

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: स्थायी अधिवक्ता (एस.सी.)

न्यायालय संख्या - 39

माननीय संदीप जैन, न्यायमूर्ति

सिविल प्रकीर्ण वापस लेने हेतु प्रार्थना पत्र संख्या **12/2023** पर आदेश:-

सिविल प्रकीर्ण विलंब क्षमा प्रार्थना पत्र संख्या **13/2023** पर आदेश:-

सिविल प्रकीर्ण आदेश वापसी (रिकॉल) प्रार्थना पत्र संख्या **14/2023** पर आदेश:-

अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सिविल प्रकीर्ण प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र संख्या 418108/2014, विलंब क्षमा प्रार्थना पत्र के साथ, इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 07.12.2022 के माध्यम से स्वीकार किया गया था। हालांकि, इन्हीं तथ्यों के आधार पर, एक अन्य प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र संख्या 307706/2014 भी दाखिल किया गया था और उसी तिथि, अर्थात् 07.12.2022 को स्वीकार किया गया था। अतः यह तर्क दिया गया है कि सिविल प्रकीर्ण प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र संख्या 418108/2014 पर पारित आदेश निष्प्रभावी हो गया है, और इसलिए, उक्त आदेश को वापस लिया जाए और प्रार्थना पत्र को वापस लिए जाने के आधार पर खारिज कर दिया जाए।

इन प्रार्थना पत्रों के समर्थन में एक शपथ पत्र दाखिल किया गया है, जो निर्विवाद बना हुआ है।

मैंने अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया। यह स्पष्ट है कि मृतक अपीलार्थी संख्या 1/2, श्रीमती कवीरन के कानूनी वारिसों को अभिलेख पर लाने के लिए प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा सिविल प्रकीर्ण प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र संख्या 418108/2014 में आदेश दिनांक 07.12.2022 के माध्यम से स्वीकार किया गया था। यह भी स्पष्ट है कि एक अन्य प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र, जो कि सिविल प्रकीर्ण प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र संख्या 307706/2014 है, को भी उसी तिथि को इसी प्रकार स्वीकार किया गया था।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



ऐसा प्रतीत होता है कि अनजाने में हुई त्रुटि के कारण, एक ही उद्देश्य के लिए, अर्थात् मृतक अपीलार्थी संख्या 1/2 श्रीमती कवीरन के कानूनी वारिसों को अभिलेख पर लाने के लिए दो प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र दाखिल किए गए थे। अपीलार्थी अब सिविल प्रकीर्ण प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र संख्या 418108/2014 को वापस लेना चाहते हैं और अनुरोध करते हैं कि उस पर पारित आदेश को वापस लिया जाए।

चूंकि समान तथ्यों पर केवल एक ही प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र पोषणीय हो सकता है, इसलिए सिविल प्रकीर्ण प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र संख्या 418108/2014 में पारित आदेश दिनांक 07.12.2022 को एतद्वारा वापस लिया जाता है। अपीलार्थियों को उक्त प्रार्थना पत्र वापस लेने की अनुमति दी जाती है।

तदनुसार, सिविल प्रकीर्ण प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र संख्या 418108/2014, विलंब क्षमा प्रार्थना पत्र के साथ, वापस लिए जाने के आधार पर खारिज किया जाता है।

अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता को तदनुसार अपील के मेमो में संशोधन करने का निर्देश दिया जाता है।

अपील पर आदेश:-

1. वर्तमान अपील भूमि स्वामियों द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 54 के तहत प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, गाजियाबाद के न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन संदर्भ संख्या 431/1991 (वाहिद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में पारित आक्षेपित निर्णय और अधिनिर्णय दिनांक 28.05.1993 के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा ग्राम प्रहलादगढ़ी, तहसील दादरी, जिला गाजियाबाद (अब गौतम बुद्ध नगर) में स्थित अर्जित भूमि के लिए भूमि स्वामियों को 77/- रुपये प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजा और भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के तहत स्वीकार्य अन्य वैधानिक लाभ प्रदान किए गए हैं।
2. अपीलार्थी-भूमि स्वामियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ग्राम प्रहलादगढ़ी, तहसील दादरी, जिला गाजियाबाद (अब गौतम बुद्ध नगर) में स्थित भूमि के अर्जन और मुआवजे से संबंधित विवाद को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यू.पी. आवास एवं विकास परिषद बनाम आशा राम (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से एवं अन्य, 2021 आईएनएसई 201 में पारित आदेश दिनांक 23.03.2021 के माध्यम से निपटाया जा चुका है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि भूमि स्वामियों को 120/- रुपये प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के तहत स्वीकार्य अन्य वैधानिक लाभों के अतिरिक्त, देय है।
3. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील में भूमि स्वामी/अपीलार्थी भी उसी मुआवजे की राशि के हकदार हैं, जो उपरोक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई है।
4. इन तर्कों के साथ, यह प्रार्थना की गई कि अपील स्वीकार की जाए और अपीलार्थियों को बढ़ा हुआ मुआवजा प्रदान किया जाए।
5. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने बहुत ही निष्पक्षता से स्वीकार किया कि ग्राम प्रहलादगढ़ी में स्थित भूमि के अर्जन और मुआवजे का मामला अंतिम रूप प्राप्त कर चुका है और सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त संदर्भित मामले में समान रूप से स्थित भूमि स्वामियों को 120/- रुपये प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजा प्रदान किया है, अतः वर्तमान अपील में भूमि

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



स्वामियों को वही मुआवजा राशि प्रदान की जा सकती है, लेकिन उन्हें उस अवधि के लिए कोई ब्याज नहीं दिया जाना चाहिए जिस दौरान अपील दोषपूर्ण रही।

6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और आक्षेपित निर्णय तथा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपील स्वीकार की जाती है।
7. यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में मामला ग्राम प्रहलादगढ़ी, तहसील दादरी, जिला गाजियाबाद (अब जिला गौतम बुद्ध नगर) में स्थित भूमि के अर्जन से संबंधित है, जहां भूमि को अधिसूचना दिनांक 26.06.1982 द्वारा अर्जित किया गया था, जो यू.पी. आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 28 के तहत जारी की गई थी।
8. तत्पश्चात, अधिनियम 1965 की धारा 32 के तहत अधिसूचना 28.02.1987 को प्रकाशित हुई और कलेक्टर द्वारा 27.02.1989 को एक अधिनिर्णय किया गया, जिसके द्वारा भूमि स्वामियों को 50/- रुपये प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजा प्रदान किया गया था, जिसे सदर न्यायालय ने बढ़ाकर 77/- रुपये प्रति वर्ग गज कर दिया है।
9. यह आगे स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यू.पी. आवास एवं विकास परिषद (उपर्युक्त) के मामले में विवाद का अंतिम रूप से निर्णय कर दिया है और ग्राम प्रहलादगढ़ी में स्थित भूमि के संबंध में, जिसे यू.पी. आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 28 के तहत अधिसूचना दिनांक 26.06.1982 के माध्यम से अर्जित किया गया था, 120/- रुपये प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के तहत उन्हें स्वीकार्य अन्य वैधानिक लाभों के अतिरिक्त, प्रदान किया है।
10. सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त घोषणा के आलोक में, वर्तमान अपील के भूमि स्वामी भी अपनी समान रूप से स्थित और अर्जित भूमि के लिए समान मुआवजा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।
11. तदनुसार, यह अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी/भूमि स्वामी 120/- रुपये प्रति वर्ग गज की दर से बढ़ा हुआ मुआवजा प्राप्त करने के साथ-साथ 30% अतिरिक्त धनराशि (सोलेशियम), 12% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त मुआवजा और भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में प्रावधानित धारा 28 के तहत बढ़ा हुआ ब्याज प्राप्त करने के हकदार हैं।
12. यह वर्तमान अपील 10.01.1994 को दायर की गई थी लेकिन न्यायालय शुल्क की कमी को 13.08.2002 को पूरा किया गया था, अतः अपीलार्थी 10.01.1994 से 13.08.2002 के बीच की उक्त अवधि के लिए इस न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे की बढ़ी हुई राशि पर कोई वैधानिक ब्याज प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।
13. हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।
14. कार्यालय को तदनुसार डिक्री तैयार करने का निर्देश दिया जाता है।

(संदीप जैन, न्यायमूर्ति)

26 मार्च, 2026

हिमांशु

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"